

मानवाधिकार और घरेलू हिंसा**¹प्रियंका तिवारी**¹शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

मानवाधिकार, बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जिनके सभी लोग हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाये गये मानव अधिकार, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा; यातना और क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्ति का अधिकार; कानून के समक्ष समानता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। घरेलू हिंसा इनमें से कई अधिकारों का उल्लंघन है। यह यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा का रूप है। महिलाएं घरेलू हिंसा से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। घरेलू हिंसा को रोकने में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, हम पीड़ितों का समर्थन कर सकते हैं और अपराधियों को सजा दिलवाने में मदद कर सकते हैं। साथ मिलकर हम ऐसा समाज बना सकते हैं, जहां हर कोई हिंसा से सुरक्षित हो। यह शोधपत्र घरेलू हिंसा के संदर्भ में मानवाधिकारों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इसमें कुछ ऐसी चीजों की रूप रेखा दी गई है जो घरेलू हिंसा को रोकने और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए की जा सकती हैं। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और इसके समाधान के लिए कार्यवाही करके, हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।

मुख्य शब्द – मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; घरेलू हिंसा नियम, 2006।

Introduction

आज घरेलू हिंसा वैश्विक मानवाधिकार का बहुत ही अहम मुद्दा है, विश्व के लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। इसके अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक शोषण शामिल हो सकता है। घरेलू हिंसा पीड़ित के शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करती है, "जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होने की संभावना है, इसके अन्तर्गत शामिल हैं— ऐसे कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक रूप से हो या व्यक्तिगत जीवन में।" सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. का मानना है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक अमानवीय रूप है और महिलाओं को इससे बचाना और इसको रोकने के लिए उपाय करना राज्यों की जिम्मेदारी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति सम्बंधों की अभिव्यक्ति है, जिसकी वजह से पुरुषों द्वारा महिलाओं

पर वर्चस्व स्थापित किया गया है और उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। घरेलू हिंसा सबसे गंभीर एवं व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। पुराने समय से महिलाओं ने इसे अपनी नियति के रूप में स्वीकार किया है।

हाल के वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद, घरेलू हिंसा दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 03 में से 01 महिला को किसी अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव हुआ है। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए "महिला सुरक्षा अधिनियम 2005" एक प्रशंसनीय कानून है। यह अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया, इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को न केवल परिभाषित किया गया है बल्कि समस्या से निजात दिलाने के कठोर कदम प्रस्तावित करता है। लेकिन अफसोस अभी तक इस अधिनियम का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन का असंवेदनशील बर्ताव इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने में चुनौती बना हुआ है।

घरेलू हिंसा – कोई वयस्क पुरुष घर में रहने वाली किसी महिला से जैसे— पत्नी, पूर्व पत्नी, माता, बहन, लड़की, विधवा, विवाह के समान रिश्ते में रहने वाली महिला, संयुक्त परिवार की कोई सदस्य बच्चे (बालक—बालिका) से सम्बन्धित आर्थिक, शारीरिक, लैंगिक या भौतिक एवं भावनात्मक हिंसा करता है तो यह घरेलू हिंसा कहलाती है।

घरेलू हिंसा को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका – घरेलू हिंसा के रोक-थाम में अंतर्राष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यू.डी.एच.आर., सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. और अन्य मानवाधिकार संधियाँ घरेलू हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन संधियों में राज्यों की पार्टियों को घरेलू हिंसा को रोकने और दंडित करने के लिए उपाय करने की बाध्यता होती है। इन संधियों के अलावा, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए काम करते हैं। इन संगठनों में संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शामिल हैं। ये संगठन राज्यों की पार्टियों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, इस विषय में जागरूकता बढ़ाते हैं और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करते हैं।

मानवाधिकार – मानवाधिकार बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जिनके सभी लोग हकदार हैं, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों, वे क्या मानते हों या कैसे दिखते हों। ये अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। वे अविभाज्य भी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो मौलिक मानव अधिकारों को निर्धारित करता है। यूडीएचआर व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा; यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्ति का अधिकार; कानून के समक्ष समानता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है।

मानवाधिकारों पर घरेलू हिंसा का प्रभाव – घरेलू हिंसा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। यह दुर्यवहार का एक रूप है जो शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण सहित कई रूप ले

सकता है। यह उम्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना किसी के भी साथ हो सकता है। पीड़ितों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण चोट, विकलांगता, अभिघातजन्य तनाव विकार (ट्रामैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर), अवसाद, चिंता और आत्महत्या हो सकती है। घरेलू हिंसा पीड़ितों की आर्थिक भलाई पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि इससे काम करना मुश्किल हो जाता है।

व्यक्तिगत प्रभाव के अलावा, घरेलू हिंसा का समग्र समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे अपराध, सामाजिक अशांति और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यह समाज के ताने बाने को भी कमजोर करता है।

घरेलू हिंसा रोकने के उपाय –

घरेलू हिंसा को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, अद्योलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

- ❖ इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना।
- ❖ लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
- ❖ महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना।
- ❖ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करना।
- ❖ पीड़ित को मदद के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
- ❖ मादक पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करना।
- ❖ घरेलू हिंसा को रोकने के तरीके पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ❖ पीड़ितों को आश्रय, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करना।
- ❖ त्वरित कार्यवाही के साथ कानूनों का कड़ाई से पालन कराना।
- ❖ घरेलू हिंसा के कारणों और परिणामों पर अनुसंधान करना।
- ❖ घरेलू हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना।

निष्कर्ष – घरेलू हिंसा एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है जो दुनिया भर में समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व कानून, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें शामिल है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, वन स्टाप सेंटर (ओ एस सी), बेटी बचाव-बेटी पढ़ाओ तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2017-2022 इत्यादि।

इन सरकारी पहलों के अलावा, कई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भी हैं जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए काम करते हैं। ये एनजीओ कानूनी सहायता, परामर्श और आश्रय सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन प्रयासों के बावजूद, देश में घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, देश में 33: महिलाओं ने अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। अध्ययन में यह पाया गया कि घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली 88: महिलाएं पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं करती हैं। महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा को रिपोर्ट न करने की कुछ प्रमुख वजहों में से

दुर्व्यवहार करने वाले से प्रतिशोध का डर, सामाजिक कलंक और पुलिस एवं न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी शामिल है।

घरेलू हिंसा की सूचना व मदद के लिए राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन: 1800-11-4062 या हॉटलाइन 1-800-799-SAFE (7233) पर कॉल कर सकते हैं। मदद के लिए वेबसाइट <https://www.thehotline.org/> पर जा सकते हैं। पीड़ित अपनी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी, जिले के वन स्टाप सेंटर, या घरेलू हिंसा आश्रय से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

“आप अकेले नहीं हैं, सहायता उपलब्ध है।”

संदर्भ सूची –

- 1- <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>
- 2- <https://hi.wikipedia.org/wiki/>
- 3- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
4. मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र।
5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
6. घरेलू हिंसा नियम, 2006।